

आप चाहेंगे तो बेघर को एक घर दिला पाएंगे

किसी बेघर या अनाथ बच्चे को गोद लेना

बच्चे को गोद लेना कानूनी तौर पर वैध है (धारा 33, जै.जै. अधिनियम)



बाल कल्याण समिति द्वारा प्रमाणित है कि आप किसी भी 6 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं।



केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक एजेंसियों के द्वारा ही किसी बच्चे को कानूनी तौर से गोद लिया जा सकता है।



सी.ए.आर.ए. (केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण) भारत सरकार की केंद्रीय नियुक्त प्राधिकरण है और गोद लेने के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारतीय बच्चों को गोद लेने के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है।

गोद लेने के लिए संपर्क करें:



- प्रत्याशित माता-पिता ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म www.cara.nic.in पर भरा जा सकता है।



- जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डी.सी.पी.ओ.) के पास जा सकते हैं।